संख्या-21034/62/2009-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.।। भवन,
चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001.
दिनांक : 22 अगस्त, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली जाने वाली हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण करने पर दिए जाने वाले एकमुश्त पुरस्कार को दिसम्बर, 2008 से आगे ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए जारी रखना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-21034/14/2006-रा.भा.(प्रशि.) का हवाला देते हुए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ली जाने वाली हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को देय एकमुश्त पुरस्कार को 31 दिसम्बर, 2008 से आगे 31 दिसम्बर, 2015 तक जारी रखने के लिए राष्ट्रपति जी की स्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है । बढ़ाई गई यह अवधि "क", "ख" एवं "ग" सभी तीनों क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए समान रूप से लागू होगी । इस पुरस्कार की पात्रता के लिए शर्तें एवं दरें वही होंगी जो इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12013/3/76-रा.भा.(घ) दिनांक 21.05.1977, कार्यालय ज्ञापन संख्या-12011/5/83-रा.भा.(घ) दिनांक 29.10.1984, कार्यालय ज्ञापन संख्या-18/3/94-हि.शि.यो.(मु.) दिनांक 16.02.1995 एवं कार्यालय ज्ञापन संख्या-21034/66/2010 रा.भा.(प्रशि.) दिनांक 29.07.2011 में दी गई है ।

2. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

3. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा उनकी अ.वि.टिप्पणी संख्या-175743/2011 दिनांक 14 मई, 2013 के तहत दी गई सहमति से जारी किया गया है ।

4. यह कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिया जाए ।

(सूरज भान)
उप सचिव, भारत सरकार

................2/-

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।
2. भारत सरकार का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली । (दिनांक 04.06.2013 के यु.ओ.न. 861-स्टाफ हक (नियम) 5-2013 के संदर्भ में)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय ।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र ।
3. गृह मंत्रालय, वित्त-II अनुभाग, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली। उनकी डायरी सं0-CF84298/JS(Fin/Pes) दिनांक 16.05.2013.
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ.कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003.
6. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी एवं डैस्क/अनुभाग ।
7. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
8. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव ।
9. गार्ड फाइल ।
10. अतिरिक्त 50 प्रतियां ।
11. एन.आई.सी. – अनुरोध है कि इसे विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करवा दें

(सूरज भान)

उप सचिव, भारत सरकार